फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

जितेन्द्र गुप्ता बनाम सरकार

किस्म मुकदमा:— प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुकदमा नम्बर:— 10 सन् 2018

RCMS NO - 2018/00017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
09.04.18	यह प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपीलान्ट श्री जितेन्द्र गुप्ता पुत्र एम.पी. गुप्ता, निवासी बाडी बस स्टैण्ड, धौलपुर ने पेश की। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा यह अपील मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराने पर उनके विरूद्ध पेश की है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के विरूद्ध अपील सुनने हेतु यह न्यायालय सक्षम नही है। अतः अपीलान्ट की अपील सक्षम अपील अधिकारी को स्थानान्तरित की जाती है। अपीलान्ट को सूचित किया जावें। मूल अपील सक्षम अपील अधिकारी निदेशक(जन स्वास्थ्य), निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर को भिजवाई जावें। अपील पर इस न्यायालय से कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अपील को इसी स्तर पर निस्तारित किया जाना उचित समझते है। अतः अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो, नम्बर से कम की जावे। जिला कलक्टर धौलपुर	183-84 10/4/18